कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक – 5363 दिनांक– 22/12/2021

–: विज्ञप्ति :–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर एवं उसके अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में समय–समय पर आयोजित होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए निम्न तालिका में अंकित अनुसार वर्ष 2021 के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर पेरालीगल वालिंटियर का पेनल गठित किया जाना है। जिसके लिए संलग्न प्रारूप में लिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

मुख्यालय / तालुका	पंचायत समिति	रिक्तियों की संख्या
जिला मुख्यालय	सीकर मुख्यालय	05
	पलसाना	04
	पिपराली	01
नीमकाथाना	पाटन	04
श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	02
	खण्डेला	03
	अजीतगढ़	03
लक्ष्मणगढ़	नेछवा	04
कुल		26

(1) शैक्षणिक योग्यता : आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए।

(2) वरीयता : विधिक सेवा में पूर्वानुभव, विधि की सामान्य जानकारी, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं तथा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी।

(3) आवेदन पत्र : इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सेकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
3. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
4. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आधार कार्ड व राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
6. अनुभव के समर्थन में दस्तावेज, यदि उपलब्ध हो।
7. सहमति पत्र।

22.12.20

(5) आवेदन की **अंतिम तिथि :** आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 सांय 5.00 बजे तक की रहेगी। आवेदनकर्ता जिला मुख्यालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। डाक से भेजे जाने वाले आवेदन भी उक्त समय सीमा में प्राप्त होने चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ स्वहस्ताक्षरित सहमति पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

(6) पात्रता : आवेदक संबंधित क्षेत्र / पंचायत समिति का स्थानीय निवासी होना चाहिए। पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें वरीयता संबंधी आधार पर शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पीएलवी कम्यूनिटी वर्कर के रूप में कार्य करने की क्षमता, समर्पण, अनुभव एवं योग्यता को दृष्टिगत रख कर चयन किया जायेगा। आवेदक बार संघ में रजिस्टर्ड अधिवक्ता नहीं होना चाहिए।

(7) पीएलवी के रूप में अयोग्यता :–

1. विधिक सेवा योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूचि नहीं रखना
2. दिवालिया घोषित हो जाना
3. किसी अपराध का अभियुक्त होना
4. पैरालीगल वालिंटियर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना
5. राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना
6. अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरालीगल वालिंटियर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

(8) स्पष्टीकरण : स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस पंचायत समिति पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा। सभी अभ्यार्थियों / आवेदको को यह भी सूचित किया जाता है कि यह किसी पद के विरूद्ध नियोजन या सेवा सम्बन्धी कार्य नहीं है और पी.एल.वी. के नाते किया गया चयन या दिया गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करता हैं। पी.एल.वी. का कार्य स्वेच्छिक विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा कर सामाजिक एवं विधिक जागृति में रूचिकर व्यक्तियों की स्वैच्छिक सेवा प्राप्त करना हैं। इस विज्ञप्ति के जरीये आवेदन या चयन से या पी.एल.वी. के कार्य करने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के साथ कोई सेवा संविदा नहीं मानी जावेगी। पीएलवी का चयन पूर्णतया अस्थाई होगा तथा उन्हें बिना किसी नोटिस / परिलाभ के निरस्त अथवा अन्य समुचित कारणों से पैनल से पृथक किया जा सकेगा।

22/12/20

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

क्रमांक– 5384 दिनांक–22.12.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

3. जिला कलक्टर, सीकर
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीकर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथना / श्रीमाधोपुर / फतेहपुर / लक्ष्मणगढ़ / दांतारामगढ़ / रींगस / खण्डेला
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथना / श्रीमाधोपुर / फतेहपुर / लक्ष्मणगढ़ / दांतारामगढ़ / रींगस / खंडेला को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को न्यायालय एवं विधिक सेवा समितियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
6. प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय राजकीय महाविद्यालय / राजकीय कन्या महाविद्यालय / शहीद भगतसिंह विधि महाविद्यालय / राजकीय विधि महाविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय, सीकर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला सीकर
8. अधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर / उपकारागृह, नीमकाथाना व फतेहपुर
9. सहायक निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, सीकर
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
11. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सैशन न्यायालय, सीकर को जिला एवं सैशन न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

22/12/20

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षर सहित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम..
3. विवाहित / अविवाहित..
   (विवाहित होने की स्थिति में पति / पत्नि का नाम)
4. संवर्ग– सामान्य / अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / / अतिपिछड़ावर्ग वर्ग..
5. स्थायी पता..
6. वर्तमान पता..
7. पंचायत समिति..
8. निकटतम पुलिस स्टेशन..
9. जन्म तिथि (अंकों में) ....
   जन्म तिथि (शब्दों में) ....
10. वर्तमान आयु(दिनांक 01.01.2021 को) ....
11. शैक्षणिक योग्यता ....
1. आवेदक जिस स्थान पर कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम ....
2. ई–मेल व मोबाईल नम्बर..
14. कंप्यूटर ज्ञान(हां / नहीं)..
15. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है,
    तो किस पद से सेवानिवृत हुए.. ....
16. आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में पूर्व में अथवा वर्तमान में कोई भी प्रकरण लंबित है रहा है अथवा नहीं,
    यदि हां, तो पूर्ण विवरण..
17. यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता (Community Worker) के रूप में
    कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण....
13. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी विशेष
    ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण ....

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

–: सहमति पत्र :–

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी..निवासी.......................................घोषणा करता / करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है तथा मैने विज्ञप्ति एवं उसमें अंकित पात्रता तथा अयोग्यता की शर्तों का पूर्णतया अध्ययन कर लिया है तथा मैं पीएलवी के रूप में कार्य करने हेतु पात्रता पूरी करता हूं एवं मैं विधिक सेवा केन्द्रों / जागरूकता कार्यक्रमों आदि कार्यों के लिए पैरालीगल वोलन्टियर (पीएलवी) की सेवाएं देने बाबत् विज्ञप्ति अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूं। मैं .... पंचायत समिति .... में पीएलवी के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

22/12/20